

संचिका सं०-17/पेन-35/2025
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय :- डा० अंजना सिन्हा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को कुल-300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1626(25) दिनांक-06.08.2025 के आलोक में स्वीकृत।

2. डा० सिन्हा दिनांक-31.07.2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
3. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना कृपया डा० सिन्हा के सभी सरकारी बकाया आदि के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत प्राधिकार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, पटना से होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक :- 17/पेन-35/2025-64(17)

/स्वा०, पटना, दिनांक-15-01-26

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अंजना सिन्हा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, पत्राचार का पता-सी०-०१ देवरामा अपार्टमेंट, तिलक मार्ग उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, पो०-पाटलीपुत्रा, जिला-पटना, पिन कोड-800013 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।